

294



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र० क्र०..... 1/निगरानी/छतरपुर/श.रा/2017/4092 सन् 2017

- 1- राकेश गुप्ता तनय श्री किशोरीलाल गुप्ता
 - 2- राजेश पाठक तनय श्री गनेश पाठक
दोनो निवासीगण ग्राम धमना तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म.प्र.
 - 3- सुजान यादव तनय श्री शंकर यादव
नि० ग्राम बसाटा तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.
 - 4- श्रीमती कलिया बाई पत्नि श्यामलाल रजक
निवासी ग्राम सादनी तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म.प्र.
- निगरानीकर्तागण / आवेदकगण
- बनाम

- 1- श्रीमती शांति बेवा बन्दी चमार
निवासी ग्राम धमना तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र. — गैर निगरानीकर्ता / अनावेदिका

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय के
निगरानी प्रकरण कं. 05/अ-21/2013-14 एवं आदेश दिनांक
13.10.2017 से परिवेदित होकर एवं निगरानी अन्तर्गत धारा 50
म० प्र० मू० रा० सं० 1959

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता / आवेदक निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करते हैं -

- 1- यह कि अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सारांश (कहानी) संक्षेप में इस प्रकार है कि श्रीमती शांति बेवा बन्दी चमार निवासी ग्राम धमना द्वारा दिनांक 09.05.2013 को इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नं. 101/1 के अंश भाग रकवा 2.000 है० को ग्राम धमना तहसील राजनगर स्थित भूमि का पट्टा अनावेदक कं०-01 राकेश गुप्ता तनय श्री किशोरी लाल गुप्ता को दिया गया। अनावेदक कं०-01 द्वारा शासन से प्राप्त उक्त भूमि को अनावेदक कं०-02 एवं 03 को बिना कलेक्टर की अनुमति प्राप्त किये दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4092

राकेश विरूद्ध शांति

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 05/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 13-10-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. सिन्हा) सदस्य 25/2/2019</p>